कार्यालय कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर

पत्रॉक– /कसाडा–2021, दिनॉक–24अप्रैल, 2021

विषयः– निजामुद्दीन अंसारी पुत्र हदीश, ग्राम भरौली, तहसील–कसया जनपद कुशीनगर के मानचित्र पत्रावली संख्या–384, दिनॉक–04.03.2021 के संबंध में।

----------000----------

समस्त वास्तुविद्कार,
कसाडा–कुशीनगर।

प्राधिकरण में दाखिल मानचित्र पत्रावलियों की जॉच के दौरान यह संज्ञान में आया है कि कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर में आर्किटेक्ट प्रीती सिंह विशेन, में0 नवीन प्रकाश एण्ड एशोसिएट्स, असुरन चौक, गोरखपुर द्वारा मानचित्र पत्रावली संख्या–384, दिनॉक–04.03.2021 में स्थल पर रिक्त भूमि दर्शाते हुए प्रस्तावित भवन का मानचित्र स्वीकृति हेतु दाखिल किया गया है, जबकि स्थल पर भवन बना हुआ था। नियमानुसार शमन मानचित्र दाखिल किया जाना चाहिये था, किन्तु शासकीय शुल्क कम किये जाने अथवा निजी कारणों से स्थल पर भवन का प्रस्तावित मानचित्र तैयार कर दाखिल किया गया है, जो अत्यन्त ही खेदजनक स्थिति है तथा आर्किटेक्चर नियमों के विपरीत है, जिसके फलस्वरूप संबंधित आर्किटेक्ट को ब्लैक लिस्ट करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।

उक्त के संबंध में समस्त वास्तुविद्कार को निर्देशित किया जाता है कि–

1. भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाय।
2. स्थल पर यदि निर्माण हुआ है तो नियमानुसार भवन उपविधि एवं महायोजना के अनुसार शमन मानचित्र तैयार कर दाखिल किया जाय।
3. आवेदक/आवेदिका को तब तक भवन निर्माण की सहमति न प्रदान की जाय, जब तक मानचित्र स्वीकृत न हो जाय। स्वीकृति उपरान्त आवेदक को यह भी सूचित कर दें कि स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति निर्माण स्थल पर अवश्य रखें।
4. मानचित्र पत्रावली में वॉछित अभिलेख कमवार संलग्न किये गये हैं या नहीं, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
5. प्रस्तावित मानचित्र महायोजना एवं भवन उपविधि के नियमों के अन्तर्गत ही तैयार कर कार्यालय में दाखिल किये जायें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। जॉच के दौरान अथवा अन्य सूत्रों से किसी भी प्रकार का कोई विपरीत तथ्य संज्ञान में आता है तो संबंधित वास्तुविद्कार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

(पूर्ण बोरा)
ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट/सचिव,
कसाडा–कुशीनगर।

पत्रॉक–333(1) /कसाडा–2021,

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, कसाडा, कुशीनगर।
2. समस्त अवर अभियन्तागण, कसाडा कुशीनगर को इस निर्देश के साथ कि बिना स्थलीय निरीक्षण किये किसी भी पत्रावली पर आख्या प्रस्तुत न की जाय।
3. प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर चस्पा एवं प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(पूर्ण बोरा)
ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट/सचिव,
कसाडा–कुशीनगर।